झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

राँची, दिनांक-11/05/2023

संख्या--5/आरोप-1-54/2017-20948 (HRMS)/ श्री दिलीप तिर्की, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-818/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कामडारा, गुमला के विरूद्ध उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला के पत्रांक-52/म0को0, दिनांक 13.01.2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री तिर्की के विरूद्ध मनरेगा अंतर्गत मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, मनरेगा कानून का उल्लंघन करने, प्रखंड अंतर्गत क्रियान्वित वृक्षारोपण एवं अन्य प्रकार की योजनाओं का सही ढंग से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने, फलतः सरकारी राशि के गबन/दुरूपयोग में स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों पर श्री तिर्की से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गुमला से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-11513(hrms), दिनांक 18.11.2020 द्वारा श्री तिर्की के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री तिर्की के पत्रांक-282, दिनांक 17.02.2021 द्वारा राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-684, दिनांक 19.03.2021 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री तिर्की द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में मुख्य रूप से प्रतिवेदित किया गया कि घटना वर्ष 2007-08 का है। उक्त योजना के चयन, क्रियान्वयन एवं राशि व्यय में किसी भी स्तर पर उनकी भूमिका नहीं है। योजना कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर से राशि सीधे एन0जी0ओ0 को उपलब्ध कराया गया है। योजना अभिलेख में कहीं भी उनके द्वारा किसी प्रकार की अनुशंसा या हस्ताक्षर अंकित नहीं किया गया है। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि यदि उक्त अधिरोपित दण्ड घटना के तीन वर्षों के अंदर अधिरोपित होती तो उनके सर्विस कैरियर में गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन घटना के दस-बारह साल के पश्चात् उक्त दण्ड अधिरोपण से सर्विस कैरियर में गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। उनके द्वारा झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस 15 नवम्बर, 2008 के अवसर पर सरकारी कार्यो की उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रशस्ति पत्र मिलने का भी उल्लेख किया गया है।

श्री तिर्की से प्राप्त अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोप पत्र मे भी इस तथ्य की प्रविष्टि नहीं है कि उनके द्वारा राशि भुगतान हेतु अनुशंसा की गयी है या उनके अनुशंसा पर राशि भुगतान हुई है। समीक्षोपरांत श्री तिर्की द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन स्वीकृत करते हुए आरोप मुक्त करने का प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात् उक्त प्रस्ताव को दिनांक 27.04.2023 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृत किया गया है।

अतः श्री दिलीप तिर्की, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कामडारा, गुमला द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को स्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-11513(i), दिनांक 18.11.2020 द्वारा अधिरोपित निन्दन के दण्ड को निरस्त करते हुए इन्हें आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	DILIP TIRKEY BHR/BAS/3810	श्री दिलीप तिर्की,(कोटि क्रमांक-818/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कामडारा, गुमला संप्रति- निदेशक, खाद्य एवं सार्वजनिक मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को स्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-11513(i), दिनांक 18.11.2020 द्वारा अधिरोपित निन्दन के दण्ड को निरस्त करते हुए इन्हें आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री दिलीप तिर्की, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रंजीत कुमार लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

ज्ञापांक--5/आरोप-1-54/2017-20948 (HRMS)/राँची दिनांक-11/05/2023

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक--5/आरोप-1-54/2017-20948 (HRMS)/राँची दिनांक-11/05/2023

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय सचिव कोषांग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, गुमला/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव प्रशाखा-6/विभागीय अवर सचिव प्रशाखा-5/श्री दिलीप तिर्की, झा0प्र0से0, निदेशक, खाद्य एवं सार्वजनिक मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

Prepared By:- AMIT KUMAR SINGH - (110063543278)